

From no |||

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर

.....~~वीकणी देवी~~ बनाम

.....राजिन्द

किस्म मुकदमा :- 21.2.8-T.Act

नंबर .....68. वर्ष 20.21)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
14-8-25	<p>बार एसो. स्थगन पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब नर/अवकाश पर पझारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक .....28-8-25 को पेश हो <del>ख</del></p>	
28-8-25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. अनुपास्थित। वकील अपाक्षकारान उप. अनुपास्थित। बार-बार आवज दिलवायी गयी। बार-बार आवज दिलवाने के बावजूद पक्षकारान व वकील पक्षकारान में से कौन उपस्थित नहीं। अतः अदम जरूरी। अदम पेशी में पक्षकारान का प्रथना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल सुमार लेकर नम्बर से कम हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)